



बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

BILASPUR VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)

(Established by Chhattisgarh Legislative Assembly Act No. 07 of 2012)

पुराना हाईकोर्ट भवन, गांधी चौक के पास, बिलासपुर (छ.ग.) 495001

फोन : 07752-220031,220032,220033 फैक्स 07752-260294

वेबसाईट : www.bilaspuruniversity.ac.in ई-मेल : registrar@bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक /0141 / गोप. / प.परि. / 2017

बिलासपुर, दिनांक 15.11.2017
[15 NOV 2017]

--:अधिसूचना--:

बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा-2017 के परीक्षा परिणाम घोषणा उपरान्त परीक्षार्थियों द्वारा पुनर्मूल्यांकन हेतु किये गये आवेदनों के आधार पर निम्नलिखित परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन परिणाम जारी किये जाते हैं-

- 1 (001) B.A. Part-I (Regular)
- 2 (002) B.A. Part-II
- 3 (003) B.A. Part-III
- 4 (004) B.Sc. Part-I
- 5 (005) B.Sc. Part-II
- 6 (006) B.Sc. Part-III
- 7 (016) B.C.A. Part-I
- 8 (017) B.C.A. Part-II (New Course)

परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय वेबसाईट www.bilaspuruniversity.ac.in पर उपलब्ध है।

आदेशानुसार,

Mankeel 15.11.17

परीक्षा नियंत्रक,

बिलासपुर विश्वविद्यालय,

बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 15.11.2017

[15 NOV 2017]

पृ. क्रमांक /0142/ गोप. / प.परि. / 2017

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर के सादर सूचनार्थ।
3. प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
4. सहायक कुलसचिव (परीक्षा) बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
5. अनुभाग अधिकारी / कक्ष प्रभारी (गोपनीय / परीक्षा) बिलासपुर वि.वि. बिलासपुर को सूचनार्थ।
6. संपादक / संवाददाता, दैनिक.....समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि छात्रहित में अपने समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।

Sunder 15.11.2017

सहायक कुलसचिव(गोपनीय)

बिलासपुर विश्वविद्यालय,

बिलासपुर (छ.ग.)

नोट:-

1. अनुक्रमांक के आधार पर पुनर्मूल्यांकन परिणाम प्राप्त नहीं होने अर्थात **Result Not Found** बताने पर परीक्षार्थी/महाविद्यालय उपरोक्त परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन परिणाम विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड/उपलब्ध अनुक्रमांक की संलग्न सूची (**PDF FILE**) में देख सकते हैं।
2. पुनर्मूल्यांकन के परिणाम के पश्चात परीक्षार्थी 15 दिनों के भीतर पुनर्मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति प्राप्त करने हेतु प्रति प्रश्नपत्र निर्धारित शुल्क रूपये 200/- के साथ विश्वविद्यालय गोपनीय विभाग में आवेदन कर सकेंगे। छायाप्रति के अवलोकन के बाद यदि परीक्षार्थी प्राप्तांको से असंतुष्ट है और उसे लगता है कि मूल्यांकन सही नहीं हुआ है तो उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर पुनःपुनर्मूल्यांकन (**Third Revaluation**) हेतु प्रति प्रश्नपत्र निर्धारित शुल्क रूपये 300/- विश्वविद्यालय में जमा करने की रसीद के साथ माननीय कुलपति महोदय को संबोधित करते हुए आवेदन कर सकते हैं।